Uttar Pradesh have supported and reiterated the formation of Uttaranchal;

(b) whether Central Government representatives have been discussing with the leaders of various groups demanding Uttaranchal and what is the content of such discussion; and

(c) by when steps will be taken to form the Uttaranchal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED): (a) The new Government formed in Uttar Pradesh in December, 1993 has not so far taken up the issue formally with Central Government.

(b) and (c) Do not arise.

पुलिस उपायुक्त के विरुद्ध जांच

2933. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कि पुलिस उपायुक्त, उत्तर-पूर्वी जिला, दिल्ली सट्टेबाजों, जुआरियों, वेश्यावृत्ति के धंधे के दलालों और खूंखार अपराधियों की मिलीभगत से चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त पुलिस उपायुक्त के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करवाए जाने का आदेश दिया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

सिक्किम में छोगयाल की संपत्ति के लिए दिया गया मुआवजा

2934. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सिक्किम में 1975 से पहले सैकड़ों एकड़ भूमि और मकानों इत्यादि के मालिक छोगयाल थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने सिक्किम को राज्य का दर्जा देते समय यह भूमि अपने कब्जे में ले ली थी तथा उसके लिए संपत्ति के मालिक को कोई मुआवजा नहीं दिया गया था;

(ग) क्या सिक्किम सरकार ने गृह मंत्रालय से इस प्रकार की कोई मांग की है कि भारत सरकार ऐसी धन राशि दे दे जो कि करोड़ों रुपए की आंकी गई है; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर "हां" में हो तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद): (क) 1975 से पहले, चौग्याल, कुछ निजी सम्पदा, जो अभी उनके नाम पर है, के अलावा, उस सम्पत्ति के प्रशासक भी थे जिसे "निजी संपत्ति" कहा जाता था। निजी सम्पदा से उनकी आय भू-राजस्व तक ही सीमित थी जिसे वे लोग अदा करते थे जिनके पास निजी सम्पदा परिसर में भूमि होती थी। इसके अतिरिक्त, चौग्याल को निजी सम्पदा परिसर के अन्दर की भूमि, जो वन, बारागाह इत्यादि भूमि थी, पर भी राजस्व देय था।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि सरकार ने चौगयाल की सम्पदा को मुआवजा दिए बगैर ले लिया है। निजी सम्पत्ति जिसका अधिकार स्पष्ट रूप से उन्हें प्राप्त था, उनके उत्तरधिकारियों के पास ही बनी हुई है। तथापि, सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके निजी सम्पदा में भूमि से प्राप्त होने वाले राजस्व, किराया इत्यादि की आय का अधिकार अपने पास रख लिया है, जैसा कि अन्य भूमि के बारे में होता है।

(ग) जी हां, श्रीमान्। चौग्याल से लगातार प्राप्त हो रहे अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार समय-समय पर भारत सरकार से अनुरोध करती रही है कि भूतपूर्व चौग्याल के पक्ष में कोई उचित बन्दोबस्त किया जाये। तथापि, राज्य सरकार ने राशि का कोई उल्लेख नहीं किया है।

(घ) सरकार द्वारा भूतपूर्व चौग्याल को अधिग्रहित संपत्तियों के दावों को अंतिम रूप देने संबंधी मामले के बारे में, सरकार पहले ही अवगत है। भूतपूर्व चौग्याल के उत्तराधिकारियों को मुआवजे के रूप में 96 लाख रु० की अंतरिम अदायगी पहले ही कर दी गयी है।